भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

*****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 : **5068**

द्वारा : **प्रो0 (डा0) रंजन प्रसाद यादव**

उत्तर देने की तिथि : **27.04.2010**

शीर्षक : **राष्ट्रीय भाषा के रुप में हिंदी |**

प्रश्न	उत्तर
5068. प्रो0 (डा0) रंजन प्रसाद यादव	**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजय माकन):**
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :	
(क) क्या देश की राष्ट्रीय भाषा के रुप में हिंदी के दर्जे के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में कोर्इ टिप्प्पणी की है;	(क) जी हां श्रीमान|
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और	(ख) गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में यह टिप्प्पणी की है कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रुप में घोषित करने के संबंध में न तो कोर्इ प्रावधान किया गया है और न ही कोर्इ आदेश जारी किए गए हैं| उच्च न्यायालय की टिप्प्पणी से राजभाषा विभाग सहमत है |

(ग) हिंदी को भारतीय संविधान में यथा प्रदत्त उचित दर्जा दिलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?	(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी संघ की राजभाषा है| संविधान के अनुच्छेद 344(4) में की गर्इ व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित 30 सदस्यीय संसदीय समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत दिनांक 27-4-1960 को राजभाषा हिंदी के विकास तथा प्रचार संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए| संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया| हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प, 1968 पारित किया गया| राजभाषा अधिनियम, 1963 में की गर्इ व्यवस्थाओं के सुचारु क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए| संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग व्यापक रुप से बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समितियां गठित की गर्इ हैं:- 1. संसदीय राजभाषा समिति| 2. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिंदी

	समिति| 3. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति | 4. सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति| 5. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति| 6. देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां| इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं| राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की निगरानी रखता है एवं इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है|